न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 91/2018

1 भागु देवी पुत्री ईश्वर उर्फ ईशरा पत्नी सोहनलाल मृतक।
1/1 नाथी देवी पुत्री सोहनलाल।
1/2 बाबुलाल पुत्र सोहनलाल।
1/3 हीरालाल पुत्र सोहनलाल।
1/4 सूर्यप्रकाश पुत्र सोहनलाल हाल निवासीगण नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
1/5 सन्जु पत्नी ताराचन्द मंहता की कोटी सीकर जिला सीकर ।
1/6 सोहनलाल पुत्र देबुराम हिनवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 नानची देवी पुत्री ईश्वर उर्फ ईशरा पत्नी गोरधन जाति माली निवासी झाझड़ हाल निवासी डुण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 चुकिया पुत्री ईश्वर उर्फ ईशरा पत्नी रामेश्वर जाति माली निवासी झाझड़ हाल आबाद उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 सरला उर्फ सारा पुत्री ईश्वर उर्फ ईशरा पत्नी भागीरथ जाति माली निवासी झाझड़ हाल निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 महादेव पुत्री मोहनी देवी।
6 फुली देवी पत्नी प्रहलाद पुत्री मोहनी देवी।
7 मेघा देवी पत्नी सत्यनारायण पुत्री मोहनी देवी समस्त जाति माली निवासीगण नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्री प्रसाद उर्फ श्रीराम पुत्र ईश्वर उर्फ ईशरा जाति माली निवासी झाझड़ हाल निवासी सीकर तहसील व जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

2 पूर्णमल पुत्र ईश्वर उर्फ ईशरा जाति माली निवासी झाझड़ हाल निवासी जयपुर जिला जयपुर।

3 रूकमणी देवी पत्नी ईश्वर उर्फ ईशरा।

4 भुपेन्द्र कुमार पुत्र ईश्वर उर्फ ईशरा समस्त जाति माली निवासीगण झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

5 मैना देवी पत्नी हेमा उर्फ हेमचंद पुत्रवधु ईश्वर उर्फ ईशरा।

6 गिरधारी पुत्र हेमा उर्फ हेमचंद पौत्र ईश्वर उर्फ ईशरा।

7 सुमित्रा पुत्री हेमा उर्फ हेमचंद पौत्री ईश्वर उर्फ ईशरा पत्नी जगदीश समस्त जाति माली निवासीगण झाझड़ हाल निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

8 कमला पुत्री हेमा उर्फ हेमचंद पोत्री ईश्वर उर्फ ईशरा पत्नी सीताराम जाति माली निवासी झाझड़ हाल निवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

9 सुनिता पुत्री हेमा उर्फ हेमचंद पोत्री ईश्वर उर्फ ईशरा पत्नी किशोर जाति माली निवासी झाझड़ हाल उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

10 बबीता पुत्री हेमा उर्फ हेमचंद पौत्री ईश्वर उर्फ ईशरा पत्नी नेमीचंद जाति माली निवासी झाझड़ हाल निवासी नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
दिनांक 19.04.2018 मुकदमा नम्बर 202/2016
उनवानी भागु देवी बनाम श्रीप्रसाद उर्फ श्रीराम
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री धीरज कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(झुंझुनू)

3

—निर्णय—

दिनांक:— 09.03.2022

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 202/2016 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम झाझड़ की भूमि खसरा नम्बर 382,388,389,405,381 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर खसरा नम्बर 381 को छोड़कर शेष भूमि के सन्दर्भ में स्थगन आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही है। खसरा नम्बर 381 पक्षकारो के संयुक्त आय से पक्षकारो की माता रूकमणी देवी के नाम क्रय की गई थी। ऐसी स्थिति में रूकमणी देवी को खसरा नम्बर 381 का दानपत्र करने का अधिकार नही था। इस सन्दर्भ में सिविल न्यायालय में दानपत्र को चुनौती दी हुई है। जहां से खसरा नम्बर 381 के सन्दर्भ में स्थगन जारी है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अत अपील स्वीकार कर खसरा नम्बर 381 के सन्दर्भ में भी स्थगन जारी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 381 जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र रूकमणी द्वारा क्रय की गई थी। यह भूमि परिवार की संयुक्त आय से क्रय किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। सिविल न्यायालय में दानपत्र को चुनौती दे रखी है। इसका निर्णय सिविल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

न्यायालय द्वारा किया जाना है। राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र एवं दानपत्र की वैधता पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 381 जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र रूकमणी द्वारा क्रय की गई थी। यह भूमि परिवार की संयुक्त आय से क्रय किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है। सिविल न्यायालय में दानपत्र को चुनौती दे रखी है। इसका निर्णय सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है। राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र एवं दानपत्र की वैधता पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर